



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL  
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

राम प्रताप सिंह

Up Singh  
2704  
1416, Azamgarh  
No. 6415654398, L.No.-38  
District-Sadar, Azamgarh

Certificate No.	: IN-UP17976749324511T
Certificate Issued Date	: 28-Jul-2021 04:56 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14260704/ AZAMGARH SADAR/ UP-AZG
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1426070424293868429642T
Purchased by	: BHAGWAN ADARSH MV CHAKRAPANPUR AZAMGARH
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: BHAGWAN ADARSH MV CHAKRAPANPUR AZAMGARH
Second Party	: Not Applicable
Stamp Duty Paid By	: BHAGWAN ADARSH MV CHAKRAPANPUR AZAMGARH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:



.....Please write or type below this line.....

समक्ष,

शपथ पत्र

सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद्  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मैं बंश बहादुर सिंह भगवान आदर्श महाविद्यालय ट्रस्ट चक्रपानपुर कनैला आजमगढ़ का सचिव/अध्यक्ष हूँ। शपथ पूर्वक निम्नवत बयान करता हूँ:-  
1. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि भगवान आदर्श महाविद्यालय ट्रस्ट द्वारा संचालित भगवान आदर्श कालेज ऑफ फार्मसी नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना

Statutory Alert

Authenticity of the Stamp certificate should be verified at 'www.sholestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding Company in the details on the Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.  
If you are doubting the legitimacy of the certificate, please inform the Competent Authority.  
If you find any discrepancy please inform the Competent Authority.

प्रस्तावित है।

2. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि भगवान आदर्श महाविद्यालय ट्रस्ट के नाम गाटा संख्या 311 अ से 1520 कडी 404 से 202 एयर यानी 499 कडी कुल रकबा 8178.96 वर्ग मीटर (लीज) किरायेदारी पर दिया गया है।
3. यह है कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और विवाद रहित है।
4. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि भगवान आदर्श महाविद्यालय ट्रस्ट के नाम गाटा संख्या 311 अ से 1520 कडी 404 से 202 एयर यानी 499 कडी कुल रकबा 8178.96 वर्ग मीटर किया गया भगवान आदर्श कालेज ऑफ फार्मसी संस्थान के स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 15/07/2022 द्वारा प्रेरित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के सम्मेलन उपरोक्त पत्र पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के सम्मेलन निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी कउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्था में फार्मसी कउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी कउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किया अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई.टी.आई. आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि संस्थान में संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी कउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा उवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

13. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह0 सचिव

Banoh Bahadur Sin 1  
ह0 अध्यक्ष